तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-3-2020	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 अनवान कानाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम संत लिकमाराम नगर के ख.नं. 635, 642, 644, 645, 646 कुल रकबा 46.18 बीघा में प्रार्थी के पिता श्री विरदाराम उर्फ बरदाराम के नाम दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/6 हिस्सा हैं। उक्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी के दादा का नाम शोभाराम दर्ज हैं जिससे निरस्त कर जेयरूपराम दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना पत्र हेतु तहरीर जारी की गंई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू.अ./2020/4104 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हैं। अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021, 2030 से 2033, 2038–2041, 2043–2046, 2047–2050, 2051–2054, 2055–2057 एवं 2071–2074 में भी विरदाराम उर्फ बरदाराम पिता शोभाराम जाति पटेल चला आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर लिपिकीय त्रुटिवश उपरोक्त खसरान् में प्रार्थी के दादा का नाम जेयरूपराम के स्थान पर शोभाराम दर्ज हो गया ऐसा कोई अभिलेख एवं प्रमांण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा डाकघर की पासबुक की प्रति, अन्य खसरे की पासबुक की प्रति एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से भी यह पुष्टि नहीं होती हैं कि विरदाराम उर्फ बरदाराम पिता शोभाराम एवं विरदाराम उर्फ बरदाराम पिता जेयरूपराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 17.01.2020 में उक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि का होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हैं एवं विरदाराम पुत्र शोभाराम के स्थान पर विरदाराम पुत्र जेयरूपराम किये जाने हेतु प्रार्थी स्वयं साक्ष्य पेश करें। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner